सं0-24/2022/302/23-12-2022-2(इण्डो-नेपाल)/11टीसी-1

प्रेषक

गिरिजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग- 12 लखनऊ दिनांक 31 मार्च 2022

विषय-वित्तीय वर्ष 2021-22 में इण्डो-नेपाल बार्डर मार्ग निर्माण परियोजना के अन्तर्गत संरेखण में आच्छादित वन/वन्य जीव क्षेत्रों में संरेखण निर्धारित पेड़ों की गिनती एवं सर्वेक्षण आदि कार्य हेतु 06 कार्यों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निरस्त किये जाने तथा जनपद महराजगंज में चालू कार्य खैराघाट-झुलनीपुर तथा झुलनीपुर से पतलहवां मार्ग के निर्माण कार्य हेतु आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं0-18/2022/878/23-12-2021-2(इण्डो-नेपाल)/11टीसी-1, दिनांक 22.03.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस शासनादेश को तात्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

2- इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता(मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-663 बी0जी0/7बी0-मांग/2021-22, दिनांक 25.03.2022 द्वारा किये गये अनुरोध के अनुक्रम में इण्डो-नेपाल परियोजना के अन्तर्गत जनपद महराजगंज में चालू कार्य खैराघाट-झुलनीपुर तथा झुलनीपुर से पतलहवां मार्ग का निर्माण कार्य भाग हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में लेखाशीर्षक 5054-04-337-01-01-24 के अंतर्गत रू0 104.788 लाख (रू0 एक करोड चार लाख अठहत्तर हजार आठ सौ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित विवरणनुसार एवं शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है-

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रशासकीय विभाग की होगी तथा प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित करेंगें कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(3) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत किये जा रहे उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(6) विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(7) प्रस्तावित मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तयरदायित्व कार्यदायी संस्थान/विभाग का होगा।

(8) प्रस्तावित कार्य की लागत में 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित कर दी गई है। विभाग द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाये कि प्रयोजनान्तर्गत विभिन्नि कार्य मदों में जी0एस0टी0 से सम्मिलित न हो।

(9) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्ता्वित कार्यों की द्विरावृत्ति(डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रयोजना की स्वीकृति से पूर्व विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

2- उक्त कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-01-इण्डो नेपाल बार्डर पर प्रस्तावित मार्ग के निर्माण हेतु व्यवस्था (के. 100/रा.0-के.)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-03/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 में प्रतिनिहित अधिकारों के तहत जारी की जा रही है।

भवदीय,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव

संख्या-24/2022/302(1)/23-12-2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री जी/मा0 लोक निर्माण मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, श्रावस्ती, पीलीभीत, बहराईच, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर एवं महराजगंज।
5. मुख्य अभियन्ता, इण्डो-नेपाल बार्डर मार्ग परियोजना, लो0नि0वि0, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6. मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लो0नि0वि0, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
8. लोक निर्माण अनु0-10
9. वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8
11. डाटा सेल, लोक निर्माण विभाग, नवीन भवन, लखनऊ।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय कुमार)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।